भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-180

उत्तर देने की तारीख-24/07/2024

वर्ष 2024 की एनईईटी स्नातक परीक्षा की तृतीय-पक्ष समीक्षा

180 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 की एनईईटी स्नातक परीक्षा की तृतीय-पक्ष समीक्षा का ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ख) एनईईटी स्नातक परीक्षा के कुल कितने परीक्षा केन्द्रों पर इस तरह की तृतीय-पक्ष समीक्षा की गई;

(ग) परीक्षा केन्द्रों की तृतीय-पक्ष समीक्षा, जिसमें संरक्षित स्ट्रांग रूम, अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे आदि के प्रावधानों का अनुपालन शामिल है, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तृतीय-पक्ष समीक्षा के निष्कर्षों और परिणाम के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाए है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 5 मई 2024 को 571 शहरों (विदेश के 14 शहरों सहित) के 4750 केंद्रों पर नीट (यूजी) 2024 परीक्षा आयोजित की गई। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय ने नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के संपूर्ण दायरे की व्यापक जांच करने हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कहा है। इसके साथ ही, एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और अध्यक्ष शासी निकाय, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसे परीक्षा प्रक्रिया की प्रणाली में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली के संबंध में सिफारिशें करने के लिए कहा गया है। समिति के अधिदेश में संपूर्ण जांच प्रक्रिया का विश्लेषण, मानक संचालन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा और मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन शामिल है। समिति दो महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
